न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./85/2025

सीमा पत्नी श्री उमेश पुत्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी नगला चिम्मन तहसील बयाना जिला भरतपुर हाल निवासी सौनोटी तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री बसन्ता जाति ब्राहम्ण निवासी नगला चिम्मन तहसील बयाना जिला भरतपुर
2. रजनी पत्नी महेश पुत्री जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी नगला चिम्मन तहसील बयाना हाल निवासी सौनोटी तहसील रूपवास जिला भरतपुर

..... अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध श्री दीपक मित्तल उपखण्ड अधिकारी बयाना दावा/प्रार्थना पत्र वमुकदमा संख्या–153/15 व 165/15 अन्तर्गत धारा 235 आरटीएक्ट उनवानी सीमा बनाम जगदीश।

उपस्थितः–

1–श्री पंकज कुमार अभिभाषक प्रार्थी0,

2–श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक अप्रार्थी0–1

निर्णय दिनांक 13.05.2026

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया गया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उनवानी दावा मुकदमा संख्या 153/15 व प्रार्थना पत्र 212 आरटी एक्ट नम्बर 165/15 उनवानी सीमा बनाम जगदीश न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना में लम्बित है। वकील प्रार्थी का कथन है कि उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी नजदीक तारीख पेशी नीयत कर रहे हैं। प्रार्थी0 अभिभाषक न इस बाबत् मौखिक आपत्ति की तो उन्होने आपत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया। पीठासीन अधिकारी के इस व्यवहार से प्रार्थीया को यकीन हो गया है कि उसे न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना से न्याय की उम्मीद नहीं हैं उक्त मुकदमे में पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूचि ले रहे हैं तथा प्रकरण को गैरप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने को उतारू हैं। इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना में विचाराधीन मुकदमा संख्या 153/15 व प्रार्थना पत्र 212 आरटी एक्ट, नम्बर 165/15 उनवानी सीमा बनाम जगदीश को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 2 बाबजूद सूचना अनुपस्थित। प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी बयाना से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी बयाना से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि पीठासीन अधिकारी उक्त मुकदमे में पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूचि ले रहे हैं तथा प्रकरण में नजदीक तारीख पेश दे रहे हैं। पीठासीन अधिकारी गैरप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने को उतारू हैं। प्रार्थी का कहना है कि सर्वमान्य सिद्धान्त है कि पक्षकार को न्याय मिलने के साथ यह महसूस होना चाहिये की न्याय हो रहा है लेकिन उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त न्यायालय से प्रार्थीया को न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना में विचाराधीन मुकदमा संख्या 153/15 व प्रार्थना पत्र 212 आरटी एक्ट, नम्बर 165/15 उनवानी सीमा बनाम जगदीश को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्ण निष्पक्ष रूप से विधिवत सुनवाई की जा रही है। उपखण्डाधिकारी बयाना से अप्रार्थी0 की कोई बातचीत नहीं है। प्रार्थीया दावा/प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं होने देना चाहती है। उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा नियम अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थीया ने तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा/प्रार्थना पत्र को देरीना करने के लिए न्यायालय श्रीमान के यहॉ मुन्तकिली प्रार्थना पत्र लगाया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया किया। उपखण्डाधिकारी बयाना से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने मौखिक लगाये गये आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टी हो सके एवं उसके द्वारा लगाये गये आरोपों की प्रमाणिकता को बल मिल सके। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्डाधिकारी बयाना को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर